ई–मेल / स्पीड पोस्ट / फैक्स
समयबद्ध / शीर्ष प्राथमिकता

प्रेषक,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद, उ0प्र0
अनुभाग–4, लखनऊ।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
लखनऊ, गोरखपुर, महोबा, बिजनौर।

संख्या–9345/4–34एफ/2014, दिनांक 02 नवम्बर, 2018

विषयः उत्तर प्रदेश अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक (राजस्व निरीक्षक) सेवा नियमावली–2017 के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे राजस्व निरीक्षक का प्रशिक्षणोपरान्त अर्हकारी परीक्षा कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्यक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये अवगत कराना है कि "उत्तर प्रदेश अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक (राजस्व निरीक्षक) सेवा नियमावली–2017" के नियम–10 (1) में विहित व्यवस्था के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक के पद पर चयनित/प्रोन्नत कार्मिक दिनांक 13.08.2018 से चार राजस्व मण्डलीय प्रशिक्षण विद्यालयों (लखनऊ, गोरखपुर, महोबा एवं बिजनौर) में तीन माह का संस्थागत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, जिसकी अवधि दिनांक 12.11.2018 को पूर्ण हो रही है। प्रशिक्षण अवधि पूर्ण होने के उपरांत उनकी अर्हकारी परीक्षा आयोजित की जानी है।

इस सम्बन्ध मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त सेवा नियमावली–2017 के नियम–10 (1) के अन्तर्गत प्रशिक्षण के अन्त में एक अर्हकारी परीक्षा आयोजित किये जाने की व्यवस्था दी गयी है, जिसके अंतर्गत संस्थान का प्रधानाचार्य प्रत्येक अभ्यर्थी के कार्य और आचरण का निर्धारण उपस्थिति मासिक परीक्षा, आचरण और अनुशासन के आधार पर करेगा जिसके लिये अर्हकारी परीक्षा हेतु नियत कुल अंको का कुछ प्रतिशत चिन्हित किया जायेगा और इस सम्बन्ध में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किये गये अंकों को अर्हकारी परीक्षा में प्राप्त अंकों में जोड़ दिया जायेगा।

(2) किसी भी अभ्यर्थी को अर्हकारी परीक्षा में सम्मिलित होने की सामान्यतः अनुमति नहीं दी जायेगी, जब तक कि सत्र के दौरान संस्थान के खुले रहने पर वह कम से कम 80 प्रतिशत दिनों तक कक्षा में उपस्थित न रहा हो। तथापि आपवादिक मामलों में परिषद इस शर्त को उपयुक्त रूप से शिथिल कर सकती है।

0002000

(3) आयोजित परीक्षा निम्न कार्यकम के अनुसार आयोजित होगी–

कमांक	परीक्षा तिथि / पाली	विषय	समय
1	2	3	4
1	14.11.2018 / प्रथम पाली	सर्वेक्षण ट्रेसिंग एंव एंगिल रीडिंग	प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक
2	14.11.2018 / द्वितीय पाली	मेन्सुरेशन	अप0 1 बजे से 04 बजे तक
3	15.11.2018 / प्रथम पाली	नियम एंव कर्तव्य	प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक
4	15.11.2018 / द्वितीय पाली	भू–चित्र कार्य	अप0 1 बजे से 03 बजे तक
5	16.11.2018 / प्रथम पाली	अधिनियम प्रकिया	प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक
6	16.11.2018 / द्वितीय पाली	सदाचार एंव सद्व्यवहार	अप0 12 बजे से समाप्ति तक

(4) अर्हकारी परीक्षा हेतु परीक्षा अधीक्षक के रूप में मण्डलीय राजस्व प्रशिक्षण विद्यालय, चिनहट जनपद लखनऊ के लिए जिलाधिकारी–लखनऊ, मण्डलीय राजस्व प्रशिक्षण विद्यालय, जनपद गोरखपुर के लिए जिलाधिकारी–गोरखपुर, मण्डलीय राजस्व प्रशिक्षण विद्यालय, चरखरी, जनपद महोबा के लिए जिलाधिकारी–महोबा एवं मण्डलीय राजस्व प्रशिक्षण विद्यालय स्वाहेडी खुर्द, जनपद बिजनौर के लिए जिलाधिकारी–बिजनौर को नामित किया जाता है।

(5) परीक्षा अधीक्षक जिलाधिकारी लखनऊ, गोरखपुर, महोबा, बिजनौर को निर्देशित किया जाता है कि वह उप जिलाधिकारी से अनिम्न स्तर के अधिकारी को दिनांक 12.11.2018 को परिषद में भेजकर प्रश्नपत्रों के सील बन्द लिफाफों को प्राप्त करवा कर जिला कोषागार लखनऊ, गोरखपुर, महोबा, बिजनौर के डबल लाक में जिलाधिकारी लखनऊ, गोरखपुर, महोबा, बिजनौर की अभिरक्षा में अथवा उनके द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी की अभिरक्षा में रखेंगे।

(6) सम्बन्धित विषय के प्रश्न पत्र परीक्षा प्रारम्भ होने से एक घंटा पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी की उपस्थिति में जिला कोषगार के डबल लाक से निकाला जायेगा और परीक्षा प्रारम्भ होने से 15 मिनट पूर्व परीक्षा अधीक्षक द्वारा प्रश्नपत्रों के सील बन्द लिफाफों को खोलकर प्रत्येक परीक्षा कक्ष में निर्धारित परीक्षार्थियों की संख्या के बराबर प्रश्नपत्र भेजा जायेगा। परीक्षा प्रारम्भ होने के पूर्व सील बंद लिफाफे को कम से कम दो परीक्षार्थियों से भी उनके पदनाम एवं अनुकमांक सहित हस्ताक्षर कराकर उनकी उपस्थिति में खोला जायेगा।

(7) प्रधानाचार्य, मण्डलीय राजस्व प्रशिक्षण विद्यालय, चिनहट जनपद लखनऊ, मण्डलीय राजस्व प्रशिक्षण विद्यालय, जनपद गोरखपुर, मण्डलीय राजस्व प्रशिक्षण विद्यालय, चरखरी, जनपद महोबा एवं मण्डलीय राजस्व प्रशिक्षण विद्यालय स्वाहेडी खुर्द, जनपद बिजनौर द्वारा सभी पात्र अभ्यर्थियों को अपने स्तर से दिनांक 12–11–2018 तक प्रवेश पत्र निर्गत कर देंगे, जिसमें अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, अनुकमांक एवं अन्य विवरण जो उचित समझें अंकित करते हुए प्रवेश पत्र पर अभ्यर्थी की पासपोर्ट

•••3•••

साईज का साक्ष्यांकित फोटोग्राफ लगायेंगे। प्रवेश पत्र में यह भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जायेगा कि यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए पाया जाता है तो उसके विरूद्ध उत्तर प्रदेश अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक (राजस्व निरीक्षक) सेवा नियमावली–2017 के नियम–10(6) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

(8) उत्तर पुस्तिकाओं की छपाई/तैयारी तथा सर्वेक्षण आदि विषयों पर आवश्यक सामग्री पूर्ववत् प्रधानाचार्य, मण्डलीय राजस्व प्रशिक्षण विद्यालय, चिनहट जनपद लखनऊ, मण्डलीय राजस्व प्रशिक्षण विद्यालय, जनपद गोरखपुर, मण्डलीय राजस्व प्रशिक्षण विद्यालय, चरखारी, जनपद महोबा एवं मण्डलीय राजस्व प्रशिक्षण विद्यालय स्वाहेडी खुर्द, जनपद बिजनौर द्वारा व्यवस्थित की जायेगी। परीक्षा की समाप्ति के पश्चात उत्तर पुस्तिकाओं के अन्त में परीक्षा अधीक्षक अपने हस्ताक्षर कर एवं नाम पद नाम की मुहर लगाकर सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा नामित स्टैटिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में अनुक्रमांकवार लगाकर विषयवार सभी उत्तर पुस्तिकाओं को सील बन्द बन्डल में कराकर जिला कोषगार के डबल लाक में रखा जायेगा।

(9) परीक्षा अधीक्षक अपनी ओर से कक्ष निरीक्षक की नियुक्ति करेगा जो परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों द्वारा अनुचित साधनों का प्रयोग या प्रयास, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए कदाचार के मामलों को उसे सूचित करेगें। अधीक्षक अपने विवेक पर या तो परीक्षार्थी को अग्रेतर परीक्षा से प्रतिवारित कर सकता है या प्रश्न पत्र विशेष में उसके द्वारा प्राप्त अंकों में कटौती करने का आदेश दे सकता है। अनुचित साधनों को सम्मिलित करते हुए कदाचार के आधार पर ऐसा करने के पूर्व अधीक्षक द्वारा की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही के प्रति कारण बताने का पूर्ण अवसर प्रदान करेगा।

(10) परीक्षा अधीक्षक परीक्षा हेतु निर्धारित प्रत्येक कक्ष में दो कक्ष–निरीक्षक नियुक्त करने की मांग सम्बन्धित जिलाधिकारी से करेगे, जिसे प्रशिक्षण संस्थान में परीक्षा हेतु सुनिश्चत किया जायेगा। प्रत्येक कक्ष में दो कक्ष निरीक्षक रहेगें एवं प्रत्येक पाली में कक्ष निरीक्षकों का कक्ष परिवर्तन कर दिया जायेगा। परीक्षा अधीक्षक परीक्षा को सुचारू रूप से नियन्त्रित ढंग से कराये जाने हेतु उत्तरदायित्यों का निर्वाहन करेंगे।

(11) सम्बन्धित जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक परीक्षा के दौरान सुरक्षा की दृष्टि से प्रधानाचार्य मण्डलीय राजस्व प्रशिक्षण विद्यालय, चिनहट जनपद लखनऊ, मण्डलीय राजस्व प्रशिक्षण विद्यालय, जनपद गोरखपुर, मण्डलीय राजस्व प्रशिक्षण विद्यालय, चरखारी, जनपद महोबा एवं मण्डलीय राजस्व प्रशिक्षण विद्यालय स्वाहेडी खुर्द, जनपद बिजनौर को पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध करायेगें। साथ ही साथ सम्बन्धित जिलाधिकारी नकल विहीन परीक्षा सम्पादित कराने हेतु प्रत्येक पाली में स्टैटिक मजिस्ट्रेट जो उप जिलाधिकारी से अनिम्न श्रेणी का न हो, की तैनाती करना एवं परीक्षा अधीक्षक की मांग पर कक्ष निरीक्षक उपलब्ध कराते हुए यह भी सुनिश्चित करेगें कि राजस्व विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को कक्ष निरीक्षक के रूप में नामित न किया जाये।

0004000

(12) परीक्षा अधीक्षक सर्वेक्षण प्रयोगात्मक व एंगिल रीडिंग परीक्षा हेतु किसी अधिकारी को नामित/तैनात करेंगे जो तहसीलदार स्तर से नीचे का न हो। परीक्षा हेतु नियुक्त अधिकारी परीक्षा के तुरन्त बाद सर्वेक्षण प्रयोगात्मक व एंगिल रीडिंग उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करके उत्तर पुस्तिका एवं अंक तालिकायें अलग–अलग तथा सदाचार एवं सदव्यवहार की अंक तालिका सील बन्द बन्डल/सील बन्द लिफाफे में तथा शेष चार विषय की उत्तर पुस्तिकाओं को सील बन्द बन्डल में परीक्षा अधीक्षक जिलाधिकारी लखनऊ, गोरखपुर, महोबा एवं बिजनौर द्वारा नामित स्टैटिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में जिला कोषागार लखनऊ, गोरखपुर, महोबा एवं बिजनौर के डबल लाक से प्राप्त कर दिनांक 19–11–2018 तक उप जिलाधिकारी से अनिम्न स्तर से अधिकारी द्वारा परिषद में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। तदोपरान्त इन विषयों का मूल्यांकन परिषद स्तर पर नामित अधिकारियों द्वारा कराया जायेगा।

(13) सम्बन्धित मण्डलायुक्त अपने अधीनस्थ अपर आयुक्तों/संयुक्त विकास आयुक्त को निर्देशित करेंगे कि उक्त अधिकारी प्रस्तावित अर्हकारी परीक्षा का समय समय पर औचक निरीक्षण करें।

अतः आपसे अनुरोध है उपरोक्त दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(रजनीश गुप्ता)
आयुक्त एवं सचिव। Ka.

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– मण्डलायुक्त, लखनऊ, गोरखपुर, मुरादाबाद, चित्रकूटधाम को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह अपने स्तर से नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
2– प्रधानाचार्य, मण्डलीय राजस्व प्रशिक्षण विद्यालय, चिनहट जनपद लखनऊ।
3– प्रधानाचार्य, मण्डलीय राजस्व प्रशिक्षण विद्यालय, जनपद गोरखपुर।
4– प्रधानाचार्य, मण्डलीय राजस्व प्रशिक्षण विद्यालय, चरखारी, जनपद महोबा।
5– प्रधानाचार्य, मण्डलीय राजस्व प्रशिक्षण विद्यालय स्वाहेडी खुर्द, जनपद बिजनौर।

(गरिमा स्वरूप)
सहायक भूमि व्यवस्था आयुक्त
कृते आयुक्त एवं सचिव।